भारत का उच्चतम न्यायालय व्यवहार अपीलीय अधिकारिता

व्यवहार अपील संख्या 124-125/2019

(विशेष अनुमति याचिका (व्यवहार) संख्या 10815-10816/2017

से उद्भूत)

उत्तराखंड राज्य व अन्यअपीलार्थी (गण) विरूद्ध राज कुमारप्रत्यर्थी (गण)

<u>निर्णय</u>

अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधीश

- 1. अनुमति प्रदान की गई।
- 2. ये अपीलें उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल के रिट याचिका सं0 1116/2015 में दिनांक 24.11.2015 तथा आर ए एम सी सी सं0 333/2016 में दिनांक 27.06.2016 को पारित आदेश व अंतिम निर्णय के विरूद्ध निर्देशित है।
- 3. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2015 को रिट याचिका में पारित आलोच्य आदेश के माध्यम से कर्मकार विवाद प्रकरण सं0 45/2014

पंचाट दिनांकित 25.02.2015 को संशोधित किया जिसके द्वारा श्रम न्यायालय, हरिद्वार ने प्रत्यर्थी को पुनर्नियुक्ति के स्थान 30000 / - रूपये प्रतिकर देने का निर्णय किया और इसके बदले में राज्य (यहां अपीलार्थी) को प्रत्यर्थी (कर्मकार) को बिना किसी पुराने वेतन के भूगतान के बहाल करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (ऐतस्मिनपश्चात "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के प्रावधानों के अनुसार राज्य को प्रत्यर्थी के विरूद्ध कार्यवाही करने की स्वतंत्रता प्रदान की। राज्य ने इस आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा आवेदन दर्ज की। दिनांक 27.06.2016 को पारित आदेश द्वारा समीक्षा को खारिज कर दिया गया जिससे अब दो विशेष अनुमति याचिकाएं उद्भूत हुई जिनके माध्यम से राज्य ने मुख्य आदेश दिनांक 24.11.15 और समीक्षा आदेश दिनांक 27.06.2016 पर प्रश्न उठाते हुए विशेष अनुमति याचिका न्यायालय में दाखिल की।

4. इस प्रकरण में प्रत्यर्थी (कर्मकार) ने राज्य लो०नि०वि. (हरिद्वार) में बेलदार (दैनिक वेतन भोगी) के रूप में लगभग एक वर्ष जून 1986 से मई 1987 तक कार्य किया था। तत्पश्चात, राज्य द्वारा निर्धारित उचित विधिक प्रकिया का अनुसरण किए बिना उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया।

- 5. अपनी कथित सेवाओं की समाप्ति के लगभग 25 वर्षों बाद, प्रत्यर्थी अपनी सेवाओं की समाप्त करने की वैधता एवं शुद्धता पर सवाल उठाते हुए श्रम न्यायालय, हरिद्वार (45/2014) में याचिका दायर की।
- 6. श्रम न्यायालय ने पंचाट 25.02.2015 द्वारा प्रत्यर्थी (कर्मकार) के पूर्ण एवं अंतिम संतुष्टि में पुनर्नियुक्ति और उसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी परिणामी लाभों के दावे में 30000/— रूपए मौद्रिक प्रतिकर प्रदान किया।
- 7. अतः प्रत्यर्थी ने व्यथित होकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट याचिका दायर की। इस आलोच्य आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने श्रम न्यायालय के पंचाट को संशोधित किया और इसके स्थान पर प्रत्यर्थी को बिना पिछले वेतन भुगतान के राज्य सेवाओं में बहाल करने का निर्देश दिया, जिस पर राज्य द्वारा विशेष अनुमित के माध्यम से वर्तमान अपीलों को इस न्यायालय के समक्ष दायर किया गया।
- 8. अपीलार्थींगण की ओर से अधिवक्ता श्री विश्व पाल सिंह एव प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज मिगलानी को सुना गया।
- 9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन करने पश्चात, हम आंशिक रूप से अपीलों को स्वीकार करते हैं और वर्तमान आदेश को निम्नलिखित सीमा तक संशोधित करते हैं।

10. हमारी राय में, वर्तमान प्रकरण को इस न्यायालय द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम भुरूमल (2014) 7 एस सी सी 177 तथा जिला विकास अधिकारी एवं अन्य बनाम सतीश कांतिलाल अमेरलिया (2018) 12 एस सी सी 298 में पारित दोनों निर्णयों द्वारा आच्छादित है। 11. इस न्यायालय द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड (उपरोक्त) में जो अभिनिर्धारित किया गया है, उसे यहां प्रस्तुत करना उचित होगा:

"33. उपरोक्त निर्णयों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि जब सेवाओं की समाप्ति को अवैध पाया जाता है तब संपूर्ण पिछले वेतन भुगतान के साथ बहाली अनुदान का सामान्य सिद्धांत सभी मामलों में यंत्रवत् रूप से लागू नहीं किया जा सकता। हालांकि यह एक ऐसी स्थिति हो सकती है कर्मकारों सेवाओं नियमित / स्थायी की जहां अवैध रूप और/या असद्भावपूर्वक और/या उत्पीड़न, अन्चित श्रम प्रणाली आदि के माध्यम से समाप्त किया जाता है। हालांकि जब मामला एक दैनिक कर्मकार का हो और जहां प्रकियात्मक दोष के कारण, जैसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 एफ का उल्लंघन करते हुए सेवाओं को अवैध रूप से समाप्त करना पाया जाता हो. यह न्यायालय यह विचार करने में सुसंगत है कि ऐसे मामलों में पुराने वेतन के साथ बहाली स्वतः नहीं है बल्कि न्यायहित (के उद्देश्य) को पूरा करने के लिये मजदूरों को मौद्रिक प्रतिकर दिया जाना चाहिए। इस दिशा में बदलाव के लिए तर्क स्पष्ट है।

34. ऐसे मामलों में बहाली की राहत से इनकार करने के कारण स्पष्ट है। यह एक साधारण विधि है कि बहाली के बाद भी जब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 25 एफ के अंतर्गत अनिवार्य रूप से नोटिस और छंटनी प्रतिकर का भुगतान न करने के कारण सेवाओं की समाप्ति अवैध पाई जाती है, प्रबंधन उस कर्मचारी को छंटनी प्रतिकर देते हुए उसकी सेवाओं को समाप्त करने का विकल्प सदैव ले सकता है। चूंकि ऐसा कर्मकार दैनिक मजदूरी करता है और उसकी बहाली के बाद भी उसे नियमितीकरण मांगने का अधिकार नहीं है। [कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी (3) 17 देखे]। इस प्रकार जब वह नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकता और उसे दैनिक मजदूरी को जारी रखने का भी अधिकार नहीं है, तो इस तरह के कर्मकार को बहाल करने में उद्देश्य नहीं कोई उपयोगी होगा और द्वारा भी इस सीमा तक मौद्रिक प्रतिकर दी जा सकती है और यहां तक कि अगर उसकी सेवा बहाली के बाद पुनः समाप्त कर दी जाती है, तो उसे केवल क्षतिपूर्ति प्रतिकर और नोटिस भुगतान के रूप में मौद्रिक प्रतिकर मिलेगा। ऐसी स्थिति में एक लंबे अंतराल के बाद बहाली की राहत किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।

"35. हालांकि हम यहां एक आपत्ति सूचना भी जोड़ना चाहेंगें। ऐसे मामले हो सकते है जहां एक दैनिक वेतन भोगी कर्मकार की सेवाओं की समाप्ति इस आधार पर अवैध पाई जाती है कि इसे अनुचित श्रम प्रणाली या अंतिम आओ पहले जाओ के सिद्धांत का उल्लंघन अर्थात् ऐसे कर्मकार की छंटनी करना जबकि उससे कनिष्ठ दैनिक कर्मकारों को रखा गया हो। ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जब उससे कनिष्ठ व्यक्ति को किसी नीति के तहत नियमित कर दिया गया हो लेकिन संबंधित कर्मकार की सेवा समाप्त कर दी गई हो। ऐसी परिस्थितियों में सेवा समाप्ति वाले कर्मकार की बहाली को तब तक इनकार नहीं करना चाहिए जब तक कि बहाली की स्थान पर प्रतिकर के अनुदान की प्रणाली अपनाने के लिए प्रभावशाली कारण न हो। ऐसे मामलों में बहाली का नियम होना चाहिए और इस तरह की राहत के लिए केवल असाधारण मामलों में लिखित कारण देने पर ही इनकार किया जा सकता है।

12. यहां एक ऐसा मामला भी है जहां प्रत्यर्थी ने राज्य लो0नि0वि0 में

मुश्किल से एक वर्ष तक की अवधि तक दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करने का दावा किया। दूसरा, उसे नियमितीकरण का दावा करने का कोई अधिकर नहीं था। तीसरा, उसे दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करने का कोई अधिकार नहीं था और अंततः, प्रत्यर्थी (कर्मकार) द्वारा विवाद कथित सेवा की समाप्ति के लगभग 25 वर्ष बाद श्रम न्यायालय में उठाया गया था।

13. इन्हीं कारणों से, हमारा विचार है कि प्रत्यर्थी का मामला इस न्यायालय के भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्णय के पैरा 34 (उपरोक्त) में दिये गए मामलों की श्रेणी में पूरी तरह से आएगा ।

14. उपरोक्त चर्चा के मद्येनज़र, हमारा यह सुविचारित मत है कि प्रत्यर्थी को उसे बहाली के दावे में पूर्ण व अंतिम संतुष्टि के रूप में एकमुश्त मौद्रिक प्रतिकर और अधिनियम की धारा 11 ए के तहत शिक्तयों का अवलंब लेते हुए अन्य परिणामी लाभ एवं भारत संचार निगम लिमिटेड मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून (उपरोक्त) के तहत देना न्यायोचित, उचित एवं तर्क—संगत होगा।

15. उपरोक्त तर्कों की समग्रता के संबंध में हम प्रत्यर्थी को उसके बहाली के अधिकार के दावे एवं इस विवाद के पूर्ण व अंतिम संतुष्टि में श्रम न्यायालय द्वारा निर्णित 30000/— रूपये के बदले में 1,00,000/— रूपये (एक लाख रूपये) की राशि देना न्यायोचित एवं तर्क—संगत मानते है। हम श्रम न्यायालय द्वारा निर्णित प्रतिकर की राशि को संशोधित करते हुए 30000/— रूपये को बढ़ाकर 100000/— (एक

लाख रूपये) रूपये कर रहे हैं।

16. इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर अपीलार्थी (राज्य) प्रत्यर्थी को 100000/— रूपये का भुगतान करेगी।

17. उपरोक्त चर्चा के मद्येनज़र, अपील सफल होती है एवं आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। रिट याचिका में उच्च न्यायालय के आलोच्य आदेशों एवं पुनर्विचार आवेदन को अपास्त किया जाता है। श्रम न्यायालय के आदेश दिनांक 25.02.2015 को रूपर उल्लिखित सीमा तक संशोधित किया जाता है।

[अभय मनोहर सप्रे, न्यायाधीश]

[इंदु मल्होत्रा, न्यायाधीश]

नई दिल्लीः 07 जनवरी, 2019

खंडन (डिस्क्लेमर): स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्राधिकारिता करेगा।
